इकाई–9 # गैर शासकीय संगठनों, नागरिक समाज तथा स्व-सहायता समूहों की भूमिका

(Role of Non-Governmental Organisations, Civil Society and Self-Help Group)

पाठसंरचना(Lesson Structure)

9.0 उद्देश्य(Objective)

9.1 परिचय(Introduction)

9.2 ऐतिहासिकपृष्ठभूमि(Historical Background)

9.3 स्वैच्छिकसंगठनकाअर्थएवंउद्देश्य(Meaning and Objective of Voluntary Organisation)

9.4 स्वैच्छिकसंगठनोंकीविशेषताएँ(Characteristics of Voluntary Organisation)

9.5 स्वैच्छिकसंगठनोंकीकार्यप्रणाली(Organisation and working of Voluntary Organisations)

9.6 स्वैच्छिकसंगठनोंकीसमस्यायेंतथाकमियाँ(Problems and drawbacks of Voluntary Organisations)

9.7 समाजकल्याणमेंस्वैच्छिकसंगठनोंकीभूमिका(Role of Voluntary Organisations in Social Welfare)

9.8 साराशं(Conclusion)

9.9 अभ्यासकेप्रश्न(Questions for Exercise)

9.10 प्रस्तावितपाठ (Suggested Readings)

9.0 उद्देश्य(Objective)

इस पाठ्य संरचना का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वैच्छिक संस्थाओं के संबंध में जानकारी देना। भारत के संबंध में स्वैच्छिक संस्थाओं का महत्व क्या है, उनके क्या कार्य हैं और सामाजिक प्रशासन में इसका क्या महत्व है, इन सबों के बारे में सही जानकारी देना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है।

9.1 परिचय(Introduction)

भारतीय संस्कृति में धर्म, नैतिकता, परोपकार एवं परलोक में विश्वास करने की भावनायें शुरु से ही व्याप्त रही हैं। दीनहीनों, अतिथियों और संकट में पड़े मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जन्तु और पशु-पक्षियों की सेवा करना पुण्य का कार्य माना जाता है। कौटिल्य ने भी कहा था कि प्रत्येक सभ्य समाज के नागरिकों तथा वहाँ के राजा को वृ□, नि:शक्तजन, रागी, बच्चे तथा महिलाओं के प्रति सहयोग तथा सहानुभूति की भावना रखनी चाहिये। मानवता की सेवा को सर्वोपरि बताते हुए हमारे धर्म ग्रन्थ नीति शास्त्र एवं जातक कथायें समाज में त्याग भावना को विकसित करने में सहायक रहे हैं।

ऐच्छिक संस्थाओं का स्वरूप बहुत ही लचीला (texible) होता है। ये अपने अन्दर लोगों के जीवन स्तर की उपर उठाने का संकल्प अपने अत:करण (Dedication) से करते हैं। एच्छिक संस्थायें प्रजातंत्र की आत्मा ही नहीं बल्कि उसे प्रजातंत्र की जान भी कहा जा सकता है।

ऐच्छिक संस्थाओं के कार्यक्रम उन सभी क्षेत्रों में फैले हुये हैं जो मनुष्य के कल्याण से संबंधित सभी पहलुओं को अपने में समेट लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी एच्छिक संस्थायें (Volantary Organisation) हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मिलकर कार्य करती हैं। ऐच्छिक संस्थाओं को ऐसे कार्य पहले लेना चाहिये जो ज्यादा महत्व के हों। इन्हें उत्तरदायित्व के साथ काम करने दिया जाना चाहिये जिससे ये एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले सकें।

सुख दुख जीवन के दो अनिवार्य पक्ष है। इसी सत्य को स्वीकार करे हुये अधिकतर गृहस्थ व्यक्ति समाज सेवा में लगी संस्थाओं को यथासंभव सहायता प्रदान करते रहे हैं। प्राचीन काल से ही कुछ परोपकारी एवं कर्मठ व्यक्ति मिलकर एक संस्था के रूप में जरूरतमन्द व्यक्तियों की सहायता करते आये हैं। राज्य या शासन के आदेशों या इच्छा के बिना जब कोई संगठन तैयार किया जाता है तो वह ऐच्छिक या स्वैच्छिक संगठन कहलाता है।

यहाँ स्वैच्छिक संगठनों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ उसके अर्थ को भी स्पष्ट किया गया है। स्वैच्छिक संस्थाओं की कुछ विशेषतायें भी होती हैं, जिनकी चर्चा भी यहाँ की गई है। स्वैच्छिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली तथा उसके महत्व को भी जानना आवश्यक है। परन्तु स्वैच्छिक संस्थाओं की अपनी भी अनेक समस्यायें होती हैं, जिसका हल किया जाना भी आवश्यक है। इन सभी बातों की चर्चा इस पाठ्यक्रम में की गई है।

9.2 एतिहासिकपृष्ठभूमि(Historical Background)

उपलब्ध एतिहासिक प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव कल्याण के लिये स्वैच्छिक संगठनों का अस्तित्व प्रत्येक काल में प्रत्येक जगह कुछ न कुछ भाग में अवश्य ही रहा है। इन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अपाहिजों, असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों, विधवाओं तथा अनाथ बच्चों की सेवा सुश्रुषा की जाती थी। बाढ़, भूकम्प, तूफान, महामारी, अग्निकांड, यु□ तथा अकाल से त्रस्त होती मानवता को जन सहयोग की भावना से ही

सहारा दिया जाता था। उस समय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का समुचित विकास न होने से प्राचीन एवं मध्य काल में प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के लिये तथा दूसरों की मदद करने का एकमात्र सहारा परोपकार तथा सामुदायिक सहयोग भावनायें ही थीं। धनी व्यक्ति, राजा तथा जमींदार इत्यादि जनकल्याण में अपना योगदान देते थे। संपन्न व्यक्ति अन्न, वस्त्र तथा अन्य सामान इत्यादि से स्वैच्छिक संगठनों को जीवित बनाये रखते थे। इसी तरह धीरे-धीरे स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण हुआ होगा।

बाद में चलकर तीर्थ स्थलों तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर मानव कलयाण के लिये स्थायी तथा वृहताकार समाजसेवी संस्थायें शुरु हुई। परन्तु गाँवों में इन संगठनों की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि संयुक्त परिवार तथा जाति प्रथा की व्यवस्था से प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण घर में ही संभव था। गाँव भी एक इकाई के रूप में कार्यशील सामाजिक संरचना थी।

अधिकांश राजा भी जनकल्याण को महत्व देते हुये राज्य की ओर से सराय एवं धर्मशालायें संचालित करवाते थे। अपनी धार्मिक कट्टरता के बावजूद शहंशाह औरंगजेब ही एकमात्र ऐसे सम्राट हुये जिन्होंने वैश्याओं को गृहस्थ जीवन बिताने में सहायता की। मादक पदार्थों पर भी उन्होंने पाबन्दी लगा दी थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उस समय भी मानव कल्याण के लिये प्रयास किये जा रहे थे।

सन् 1600 में इस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रवेश हुआ। यूरोप के पुनर्जागरण काल विज्ञान का विकास तथा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ ही संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगे। सन् 1858 में मद्रास (वर्तमान चेन्नई) में स्थापित 'Friends in Society' नामक स्वैच्छिक संगठन को भारत के स्वैच्छिक संगठनों के इतिहास में प्रारंभिक प्रयास माना जा सकता है। ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज, धर्म समाज, वियोसोफिकल सोसायटी, आर्य समाज तथा रामकृष्ण मिशन इत्यादि भी इसी प्रकृति के समाज सुधार आंदोलन थे। अंग्रेजी राज के दौरान भी स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठन भारत में थे किन्तु उनमें तीन (3) महत्वपूर्ण परिवर्तन आये।

(1) ब्रिटिशकाल में शिक्षा के प्रसार तथा समाज सुधार आंदोलन से स्वैच्छिक संगठनों का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो गया। सदियों से उपेक्षित रहा पिछड़ा वर्ग अब स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्षेत्र में था। इसके पहले जातिगत व्यवस्था, जिसका पालन कठोरता से किया जाता रहा है, के कारण दलितों के कल्याण के प्रयास न के समान थे।

(2) इसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश हुआ जो बहुत ही संगठित तरह से दीनहीन की सेवा बड़े ही समर्पित भाव से करती थीं। ये मिशनरी संस्थायें आदिवासी और दलित समुदायों तक पहुँचने को प्राथमिकता देती थी। इतना ही नहीं कुष्ट तथा क्षय रोगियों, जिसके पास कोई जाना तक नहीं चाहता था, उसकी सेवा करने में भी इस संस्थाओं ने श्रेष्ठ कार्य करना शुरु किया।

(3) भारत में ब्रिटिश शासन की जड़े जमते ही आधुनिक कानूनों का निर्माण शुरू हुआ। इसी शृंखला में स्वैच्छिक संगठनों का भी औपचारिक पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया। आज भी अधिकांश स्वैच्छिक संस्थायें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में लोक कल्याण्कारी राज्य का उदय हुआ। तेजी से हुये आर्थिक तथा भौतिक विकास के बाद संयुक्त परिवारों का विघटन शुरु हो गया तथा पुराने समय में जो सामुदायिक सहयोग की परम्परागत भावनायें खत्म हो गई। न्यूक्लियर परिवार बनते चले गये, जिस कारण वृ□ों, विधवाओं तथा नि:शक्त जनों की जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति यह मानते है कि प्रत्येक सामाजिक कार्य सरकार की नैतिक

जिम्मेदारी है। अत: सामाजिक कल्याण के स्वैच्छिक या व्यक्तिगत प्रयास स्वभावत: कम हो चुके है। ठीक इसके विपरीत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या स्वतंत्रता के बाद निरंतर वृ□ पर है क्योंकि आज, अधिकतर कार्य औपचारिक संगठनों के द्वारा ही किये जा रहे हैं।

परन्तु ये सभी स्वैच्छिक संगठन वास्तव में समाज कल्याण के लिये ही गठित हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। स्वैच्छिक संगठनों के निर्माण के पीछे सिर्फ समाज कल्याण की भावना ही नहीं बल्कि अपने स्वार्थों की पूर्ति करना भी हो सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि स्वैच्दिक संगठनों की संख्या तो बढ़ रही है किन्तु समाज कल्याण के लिये आवश्यक प्रतिब□ता, निस्वार्थ भावना तथा कर्मठता का पतन हुआ है।

जहाँ 20वीं शताब्दी में गाँधी के अभ्युदय के साथ कई रचनात्मक कार्यक्रमों को संगठित तरीके से चलाने का प्रयास किया गया। वहीं आजादी के बाद कृषि, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक विकास के विस्तार कार्य पर ध्यान केंद्रित हो गया। सामाजिक सुधार में भी स्वैच्छिक हस्तक्षेप देखने को मिला।

आजादी के बाद विविध विकास के कार्यक्रमों के लागू होने के साथ स्वैच्छिक प्रयास का केन्द्र कल्याणकारी गतिविधियों से हटकर ग्रामीण विकास जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य विशेषकर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर केंद्रित हो गया। इस अवधि के दौरान चयनित समूहों जिसमें भूमिहीन मजदूर, आदिवासी, छोटे किसान, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि शामिल थे को लाभार्थी समूहों के रूप में चिहिन्हत किया गया।

इनमें से कुछ ने जहाँ अपना ध्यान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर केंद्रित किया वहीं कुछ ने गाँव सुधार व परिवर्तन के लिये कार्यकर्त्ताओं को सेमिनारों, कान्फ्रेन्सों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षित, जागरूक व संवेदनशील बनाने का काम शुरु किया। इन कार्यशालाओं का एक उद्देश्य विचारों व अनुभवों का सार्थक आदान-प्रदान भी रहा।

आज भारत में गैर-सरकारी संगठनों का प्रसार काफी अधिक हो चुका है। 1953 में इन गैर-सरकारी संगठनों की संख्या 1739 थी जो करीब-करीब दस गुणा बढ़कर 1990 में 100,000 से अधिक पहुँच चुकी है। इन 100,000 पंजीकृत संगठनों में से 25,000 से 30,000 गैर सरकारी संगठन सक्रिय रुप से काम कर रहे हैं। 31 दिसंबर 1989 में एक जगह पर सबसे अधिक गैर सरकारी संगठन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन (Foreign Contribution Regulation Act) फॉरेन कन्ट्रीब्यूटरी रेग्यूलेशन्स एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत थे, जिनकी संख्या 12314 थी। 1990 से 2005 के बीच में इनकी संख्या 102 मिलियन हो गई है। इसमें से 53% ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। 47% शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। इसमें से 49. 6% पंजीकृत नहीं है।

इस प्रकार गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत को प्राचीन तथा मध्ययुग में ढूँढा जा सकता है। और आजादी के बार सरकारी एजेंसियों के प्रदर्शन में तेजी से आ रही गिरावट के कारण गैर सरकारी संगठनों की महत्ता व प्रासंगिकता में कई गुना इजाफा हुआ है। फिर भी सामाजिक कार्यों में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है। आज भी बहुत सी समर्पित संस्थायें समाज कल्याण प्रशासन को व्यवहारिक सहयोग प्रदान करते हुये मानव कल्याण के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रही है।

9.3 *स्वैच्छिकसंगठन-अर्थएवंउद्देश्य*(Voluntary Organisation Meaning and Objectives)

स्वैच्छिक (Voluntary) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द Voluntarism से हुई है जो मूलत: 'Voluntas' से विकसित हुआ है। इसका अर्थ है—इच्छा या स्वतंत्रता। यह इच्छा यहाँ किसी संगठन के निर्माण के रूप में प्रकट होती है। भारत के संविधान में अनुच्छेद-19 (1) सी के अन्तर्गत यह अधिकार नागरिकों को दिया गया है। समुदाय संगठन या संघ बनाकर हम उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं जिनकी प्राप्ति संगठित प्रयासों से ही संभव है।

गैर सरकारी (NGO'S) संगठनों को अक्सर स्वैच्छिक संगठनों या स्वैच्छिक एजेंसियों अथवा कार्यकारी समूहों के साथ पारस्परिक रूप से जोड़ा जाता है। जहाँ संयुक्त राष्ट्र की शब्दावली में इसे गैर सरकारी संगठन के रूप में सामान्यत: जाना जाता है वहीं टी० एन० चतुर्वेदी इसे स्वैच्छिक संगठन या एसोसिएशन कहना पसंद करते हैं क्योंकि गैर सरकारी संगठन की अपेक्षा यह अधिक सकारात्मक व सार्थक अर्थ की उद्घोषण करता है। कुल लोग इन्हें Volgas (Voluntary Agencies) या AGS (Action Groups) भी कहते हैं।

स्वैच्छिक संगठनों की संगठनात्मक गतिशीलता (Organisational Dynamics) एवं सहभागी शासन (Participatary Governance) पर शोध कार्य करने वाले डा० धर्मेन्द्र मिश्रा का मानना है कि स्वैच्छिक संगठनों को गैर सरकारी संगठन (N.G.O.) कहने से नाकारात्मक अर्थ निकलता प्रतीत होता है, अत: इन्हें (Voluntary Organisation (V.O.) अर्थात् स्वैच्छिक संगठन कहना अधिक उपयुक्त होगा।

स्वैच्छिक संगठन / गैर सरकारी संगठन को इन शदों में परिभाषित किया जा सकता है, एक ऐसा संगठन जो स्वायत बोर्ड के माध्यम से संचालित होता है, जिसकी नियमित अंतराल पर बैठक होती है, जो अधिकांशत: निजी स्त्रोतों से चन्दा उगाहता है तथा उन पैसों को वैतनिक या अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से जानोपयोगी व जनकेंद्रित योजनाओं में खर्च करता है।

गैर सरकारी संगठन एक ऐसा औपचारिक, पार्टी विहीन व निजी निकाय होता है जो व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयत्न के माध्यम से अस्तित्व में आता है तथा जिसका उद्देश्य समाज के किसी विशेष तबके के जीवन को किसी भी मायने में बेहतर बनाने पर केंद्रित होता है। डेव्डि एम० सिल्स के शब्दों में—"स्वैच्छिक संगठन एंसे सदस्यों का समूह है जो कुछ सामान्य हितों की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक आधार पर संगठित होते हैं तथा राज्य के नियंत्रण के बिना कार्य करते हैं।"

स्मिथ एवं फ्रेडमैन के अनुसार—"स्वैच्छिक संगठन औपचारिक रूप से संगठित तथा तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी द्वितीयक समूह (Secondary Groups) हैं जो उन औपचारिक, अस्थायी एवं प्राथमिक समूहों से भिन्न (जैसे मित्रमंडली) होते हैं, जिन्हें हम प्राय: देखते हैं।"

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार —"स्वैच्छिक संगठन वह है जो अपने स्वायत्तशासी मंडल के द्वारा संचालित होता है, वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु मूलत: निजी स्त्रोतों पर निर्भर होता है तथा जन कल्याण हेतु वैतनिक या अवैतनिक कार्मिक रखते हुए सामाजिक कार्यक्रम क्रियान्वयन, जनमत निर्माण, अनुसंधान क्रियायें, विधान निर्माण सहायता तथा सामाजिक विकास में स्वैच्छिक सहयोग प्रदान करता है।"

लौर्ड बीवरजी के अनुसार—"स्वैच्छिक संगठन वह है जिसके कर्मचारी वैतनिक या अवैतनिक होते हैं तथा बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वयं की पहल से कार्य करते हैं तथा प्रशस्ति होते हैं।"

रिग्स के अनुसार यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसका आधार राज्य नियंत्रण से परे स्वैच्छिक सदस्यता पर टिका होता है तथा जो सामान्य हित को अग्रसर करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। स्वैच्छिक संगठन वस्तुत: व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जहाँ व्यक्तिगत जि का बलिदान कर सामूहिक हित को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। समूह की सदस्यता पूरी तरह से स्वैच्छिक होती है।

गैर सरकारी संगठन ऐसा संगठन होता है जहाँ के वैतनिक या अवैतनिक कार्यकर्त्ता बिना किसी बाहरी नियंत्रण के खुद के सदस्यों से नियमित, नियंत्रित व परिचालित होते हैं। दूसरे शब्दों में इसे एक ऐसे संगठनिक निकाया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जनोपयोगी व जनकेंद्रित कार्य करने के लिये स्वैच्छिक सामूहिक उपायों या संसाधनों को इकट्ठा कर उसे व्यवहार में लाने के लिये स्वयं प्रेरित होता है या फिर किसी बाह्य प्रेरणा पर टिका होता है। इसका सामूहिक उद्देश्य जन सेवाओं व सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ, बेहतर तथा उपयोगी बनाने का होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वैच्छिक संगठन कुछ व्यक्तियों द्वारा निर्मित किये जाते हैं। प्राय: मानव सेवा तथा सामाजिक विकास उनका ध्येय होता है। ऐसा संगठन अपने कार्यकरण तथा प्रशासन में सरकारी या अन्य बाहरी दबावों से मुक्त होते हैं। ये सामाजिक कल्याण संगठन या अभिकरण लोकतंत्र के आधार स्तम्भों में से एक है। लोक कल्याण के निमित्त व्यापक दायित्वों की पूर्ति मात्र राज्य के प्रयासों से ही संभव नहीं है बल्कि स्वैच्छिक संगठन उस कार्य में सार्थक भूमिका निर्वाहित कर सकते हैं।

***स्वैच्छिकसंगठनोंकेउद्देश्य*(Objectives of Voluntary Organisations) :-**

पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न दस्तावेजों में स्वैच्छिक संगठनों के निम्नलिखित उद्देश्य वर्णित किये गये हैं–

(1) इसका उद्देश्य विभिन्न वर्गों की सामाजिक समस्याओं एवं जरूरत मन्द लोगों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना तथा स्थानीय सहयोग को चिन्हित करना;

(2) समस्या से पीड़ित लोगों में चेतना जगाना और सहायता प्रदान करना ताकि वे आत्मनिर्भर बनें तथा एक दूसरे के सहयोग के प्रति अभिप्रेरित हो सकें;

(3) सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं के प्रति जरूरतमंद व्यक्तियों को सूचना तथा सहायता उपलब्ध करवाना;

(4) सामाजिक समस्याओं से उत्साह के साथ तथा सबल आर्थिक रूप से जूझने के लिये स्थानीय संसाधनों को विकसित करना;

(5) परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालते हुये कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करना; और

(6) प्रतिब□ भावना से मानव कल्याण तथा सामाजिक विकास में सहयोग देना।

इसका एक और प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि सरकारी अभिकरणों को कल्याणकारी कार्यक्रमों से संबंधित सभी बातों के बारे में अवगत कराते रहना है। परन्तु इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी भी स्वैच्छिक संगठन का आधार मजबूत होना चाहिये। संगठनात्मक प्रयासों के माध्यम से ही मानव कल्याण के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं। जिन संगठनों के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव तथा परिश्रमी कार्मिकों की समस्या न हो वे ही समाज कल्याण में अपनी सार्थक भूमिका अदा कर सकने में सक्षम सि□ होते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय जन समुदाय का सहयोग, सरकारी विभागों से समन्वय कुशल नेतृत्व, कार्यकरण में स्वायत्तता तथा

संबंधित कार्य की सामाजिक उपादेयता भी ऐसे कारक है जो किसी स्वैच्छिक संगठन को प्रभावी या निष्प्रभावी बनाने में निर्णयक भूमिका निर्वाहित करते हैं।

9.4 *स्वैच्छिकसंस्थाओंकीविशेषतायें*(Characteristics of Voluntary Organisation)

मूलत: स्वैच्छिक संगठन सरकारी संगठनों की कार्यशैली तथा संरचना से अलग होते हैं। नौकरशाही तथा कानून कायदों की पाबन्दी से मुक्त ये संगठन अपनी कार्य संस्कृति को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकते हैं। इने निर्माण में सरकारी प्रयासों की अपेक्षा कुछ व्यक्तियों की इच्छा शक्ति ही निर्यायक होती है। समाज कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई एच्छिक संस्थाओं की निम्नलिखित विशेषतायें होती हैं–

(1) इसकी विशेषता यह है कि स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसके निर्माण के पीछे सरकारी प्रयासों के बजाय किन्हीं व्यक्तियों की अपनी प्रेरणा उत्तरदायी होती है। और इस प्रेरणा के पीछे कोई भी कारण हो सकता है। इसका एक औपचारिक संगठनात्मक स्वरूप होता है।

(2) ये ऐच्छिक प्रयास का परिणाम होती हैं। यद्यपि इनकी प्रेरणा के सूत्र विभिन्न तत्व हो सकते हैं किन्तु इनका जन्म स्वेच्छा पर आधारित होता है।

(3) इन संगठनों का निर्माण प्राय: जन कल्याण के लिये किया जाता है।

(4) इन संगठनों की पहल तथा प्रशासन प्रजातांत्रिक सि□ांतों के आधार पर बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वयं इसके सदस्यों द्वारा किया जाता है।

(5) इन्हें एक उपयुक्त अधिनियम या कानून के अधीन पंजीकृत किया जाता है, ताकि इनको एक निगमत्मक स्तर प्राप्त हो सके, एक कानूनी व्यक्तित्व मिल सके और व्यक्तिगत दायित्व का स्थान सामूहिक दायित्व ले सके। भारत में केंद्रीय स्तर पर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास (Trust) अधिनियम 1882, सहकारी समिति अधिनियम 1904, तथा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 (सेक्शन-25 के अन्तर्गत Charitable Company) इत्यादि के अन्तर्गत इनका पंजीकरण किया जाता है। राज्य स्तरीय कानूनों जैसे-राजस्थान संस्थायें पंजीकरण अधिनियम 1965 तथा राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत भी पंजीयन हो सकता है।

(6) इन स्वैच्छिक संस्थाओं में संगठन की दृष्टि से एक साधारण सभा होती है, तथा नियमित रूप में बनाई गई एक प्रबंध समिति होती है, जिसमें पुरुषों, महिलाओं, व्यवसायिकों, सरकारी व्यक्तियों आदि सभी के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

(7) उनके कुछ निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं तथा इन लक्ष्यों की उपलब्धि के लिये कार्यक्रम होता है।

(8) ये जिस समुदाय में बनते हैं उनके द्वारा विदित और स्वीकृत होते हैं।

(9) ये संगठन प्राय: 'न लाभ न हानि' को आधार मानकर संचालित किये जाते हैं।

(10) इनका कार्य संचालन बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है। संगठन के सदस्य ही संगठन की व्यवस्था बनाते हैं। निर्णय में ऐसे संगठन स्वायत्तता प्राप्त होते हैं।

(11) अधिकांश संगठन किसी क्षेत्र या विषय विशेष अथवा समस्या विशेष पर ध्यान केन्द्रित रखते हैं। इनका उद्देश्य तथा लक्ष्य निश्चित होता है।

(12) इन स्वैच्छिक संगठनों का कार्य क्षेत्र भौगोलिक तथा सामाजिक दृष्टि से एक सीमित दायरे में होती है। बहुत कम संगठनों का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है।

(13) इन संगठनों में 'शीर्ष प्रशासनिक सत्ता' के रूप में सामान्य निकाय या आमसभा होती है जिसमें उस संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, दानदाता या महत्वपूर्ण व्यक्ति रखे जाते हैं जो संगठन के नीति-निर्माण में निर्यायक भूमिका निभाते हैं।

(14) इन संगठनों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सामाजिक मान्यता तथा सामुदायिक सहयोग प्राप्त होता है। इनकी वित्तीय व्यवस्था सरकार तथा जनता दोनों द्वारा पूरी होती है।

इस प्रकार स्वैच्छिक संगठनों की विशेषताओं में उपर दिये गये बातों के अतिरिक्त इनकी स्थापना स्वेच्छा पर निर्भर करती है। जनकल्याण की भावना या अन्य कोई प्रेरणा इनके लिये उत्तरदायी होती है। और इनका प्रशासन एवं कार्य संचालन स्वयं द्वारा निर्मित विधि पर निर्भर करता है।

इन विशेषताओं के अतिरिक्त इन संगठनों की कार्यप्रणाली स्वायत लचीली तथा परिवर्तनशील होती है और इनकी वित्तीय व्यवस्था जनता से दान तथा सरकारी सहायता अनुदान से चलती है। परन्तु इन संगठनों का कार्यकाल प्रायः अनिश्चित होता है।

इस प्रकार यदि देखा जाये तो स्वैच्छिक संस्थाओं की अनेक विशेषताएँ हैं जिन्हें गिनाना बहुत ही मुश्किल है। परन्तु स्वैच्छिक संगठनों की विशेषता तब तक पूर्ण नहीं कही जायेगी जबतक स्वैच्छिक संगठनों के प्रकारों का वर्णन नहीं किया जाये।

स्वैच्छिकसंगठनोंकेप्रकार(Types of Voluntary Organisations)

स्वैच्छिक संगठनों को उनकी विशेषता, स्थिति, मूल कार्य, आकार, गतिविधियाँ, कार्यशैली, प्रकृति तथा देश और काल के अनुसार कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। इनके कुछ प्रकार इस प्रकार हो सकते हैं–

भौगोलिकआधारपर–इससे तात्पर्य यह है कि इनके कार्य करने के क्षेत्र (Geographical Area) के आधार पर वर्गीकरण जिसके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन, राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन और स्थानीय स्वैच्छिक संगठन आते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन वे होते हैं जो दो या अधिक देशों में अपना कार्य करते हैं। इनमें रेडक्रौस सोसायटी, केयर, आगा खाँ फाउन्डेशन इत्यादि आते हैं। राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन वे है जो किसी एक देश के सम्पूर्ण क्षेत्र या बहुत से क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे भारत में रामकृष्ण मिशन सेवा, हेल्पएज, परिवार, प्रयास इत्यादि आते हैं। स्थानीय स्वैच्छिक संगठन में वे संगठन आते हैं जिन्हें ग्रास रूट संगठन (Grasroot Organisation) कहा जाता है। ये छोटे तथा सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय व्यक्तियों के लिये कार्य करते हैं तथा स्थानीय व्यक्तियों द्वारा गठित भी किये जाते हैं। जैसे महिला मंडल, आंगनबाड़ी इत्यादि।

कार्य प्रगति के आधार पर–

स्वैच्छिक संगठनों को उनकी कार्य प्रकृति के आधार पर बहुत प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जैसे–

(1) समाज कल्याण से संबंधित स्वैच्छिक संगठन जो दलितों, रोगियों, पिछड़े वर्गों, वृ□ों, महिलाओं, बच्चों, निराश्रितों तथा नि:शक्तजनों के कल्याण के लिये कार्यरत हैं।

(2) विकास से संबंधित स्वैच्छिक संगठन जिनका कार्य क्षेत्र सरकारी एवं अन्य विकास योजनाओं से संबंधित होता है।

(3) नियामकीय कार्य से संबंधित स्वैच्छिक संगठन जिसमें पुलिस, उपभोक्ता, संरक्षण, कारागार या कर प्रशासन के साथ मिलकर जनकल्याण के कार्य करते हैं।

(4) जन जागरूकता से संबंधित स्वैच्छिक संगठन जिसमें 'सामाजिक परिवर्तन' से संबंधित कार्य आते हैं जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता, सामाजिक कुरीतियाँ इत्यादि आते हैं।

(5) रोजगारोन्मुखी एवं व्यावसायिक शिक्षा देने वाली स्वैच्छिक संगठन। इस श्रेणी में शिक्षण संस्थान, पौढ़ शिक्षा सहयोग, महिला मंडल इत्यादि आते हैं।

(6) पुनर्वास कार्य में लगे स्वैच्छिक संगठन जैसे बाढ़, भूकंप, आकाल, तूफान, दंगे, यु□, आतंकवाद इत्यादि के समय पुनर्वास से संबंधित कार्य आते हैं।

(7) विविध की श्रेणी में वैसे स्वैच्छिक संगठन आते हैं जिनका मुख्य कार्य कला संस्कृति संरक्षण, पशु अत्याचार निवारण, वन्य विकास एवं जीव संरक्षण इत्यादि से होता है।

कार्य क्षेत्र के आधार पर–

यहाँ कार्य क्षेत्र का तात्पर्य आर्थिक नीति वाले क्षेत्र (Sector) से है। स्वैच्छिक संगठनों के मुख्य कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय विकास, वन एवं पर्यावरण, शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षण, नाशामुक्ति, नि:शक्तजन कल्याण, परिवार कल्याण, पुनर्वास इत्यादि आते हैं।

इस प्रकार स्वैच्छिक संगठनों को छोटे बड़े, परम्परागत एवं आधुनिक इत्यादि में भी विभक्त कर सकते हैं। आजकल कोई भी स्वैच्छिक संगठन विशु□ रूप से किसी एक गतिविधियों से संबंधित नहीं होता बल्कि अधिकतर संगठन बहुयामी (Multidimensional) होते हैं और यह इसकी विशेषता भी कही जा सकती है।

9.5 *स्वैच्छिकसंगठनकागठनएवंकार्यप्रणाली*(Organisation and Working of Voluntary Organisation)

स्वैच्छिक संगठनों की संरचना तथा कार्यप्रणाली सरकारी, संगठनों से पूर्ण तथा अलग होती है। भारत में ऐसे कानून बने हैं जिनके अनुसार ऐच्छिक संगठनों को पंजीकृत कर दिया जाता है। स्वैच्छिक प्रयासों से निर्मित ये संस्थायें या संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा कंपनी अधिनियम या अन्य सहकारी संस्था कानूनों के अंतर्गत होते हैं। पंजीकरण किस अधिनियम के तहत होगा यह बात संबंधित ऐच्छिक संगठन के लक्ष्य, कार्यक्रम, प्रक्रिया आदि पर निर्भर करता है। प्रत्येक संस्था (संगठन) का अपना एक प्रशासनिक ढांचा तथा कार्य प्रणाली होती है फिर भी सामान्यतया यह संगठनात्मक ढाँचा होता है। प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन पंजीकरण के समय ही अपने संविधान, धाराओं तथा ज्ञापन पत्र का निर्माण करता है जो उस संगठन का मूल दर्शन माना जाता है।

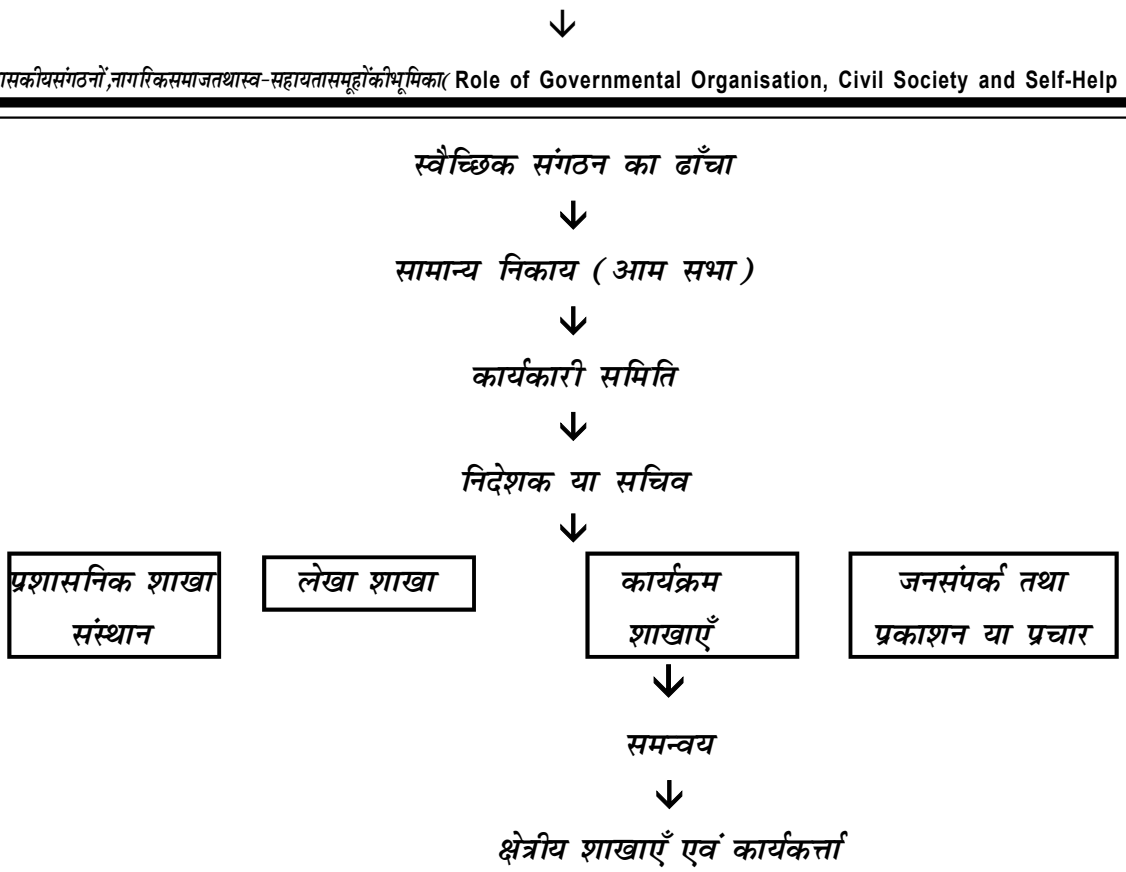

स्वैच्छिक संगठनों के शीर्षक पर ***सामान्यनिकाय***(General Body) होता है। उसे साधारण सभा भी कहा जाता है। इसमें उस संगठन के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। ऐच्छिक संगठन की साधारण सभा के सदस्य विशेषज्ञ लोग, व्यावसायिक लोग, दयालू लोग, धनी व्यक्ति, अनुभवी समाज सेवी, राजनीतिक कार्यकर्त्ता तथा सार्वजनिक हित में काम करने वाले लोग होते हैं। इनकी हित उम्र, सामाजिक समस्या का ज्ञान, वार्षिक चन्दा देने की क्षमता, सामाजिक कार्य करने की रुचि आदि कुछ न्यूनतम योग्यतायें होती है। किसी भी स्वैच्छिक संगठन की आमसभा या सामान्य निकाय की संरचना उस संगठन के निर्माण करने वाले व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर करती है। प्राय: अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने वाले इस सभा में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। जो लोक ऐच्छिक अभिकरण के सदस्य बनाये जाते हैं वे इसकी साधारण सभा के सदस्य होते हैं। संगठन की नीति तथा कार्यक्रम मुख्यत: सामान्य निकाय से स्वीकृत होते हैं। संगठन के उचित कार्य संचालन के लिये वे एक प्रबंधक समिति, पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों का चयन करते हैं। यह प्रबंध समिति नीति निर्माण, कार्यक्रम की क्रियानीति, निरीक्षण, पर्ववेक्षण और निर्देशन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

सामान्य निकाय ही उस संगठन या सभापति या अध्यक्ष का चयन करता है। कुछ सदस्यों की सहायता से एक ***कार्यकारीसमिति*** (Excutive Commitee) का निर्माण किया जाता है। यह कार्यकारी समिति उस संगठन के लिये धन एकत्र करना, कार्यक्रम संचालन सेगन की दिन प्रति दिन की गतिविधियों, जनसंपर्क, मूल्यांकन, कार्मिक प्रशासन तथा समन्वय के लिये उत्तरदायी होती है। कार्यकारी समिति तथा सामान्य निकाय के मध्य एक अध्यक्ष अथवा सभापति होता है जो मुख्यत: उस संगठन का नियंत्रणकर्त्ता है। संगठन के प्रतिवेदन के प्रशासनिक कार्यों को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिये ***निदेशकयासचिव*** का पद भी होता है। एक कोषाध्यक्ष या संयुक्त सचिव और अभिकरण के कार्यभार के अनुसार अन्य अधिकारी भी होते हैं। बहुत से संगठनों में अध्यक्ष पद अवैतनिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तथा निदेशक या सचिव पद प्राय: वैतनिक होता है।

***वेतनभोगीकर्मचारी*(Paid Employes)** और प्रशिक्षित कर्मचारियों को (जो पूर्वकालीन होते हैं) ऐच्छिक संगठनों में नियुक्त करने की व्यवस्था अपेक्षाकृत नई है। इसमें पूर्व कल्याण्कारी अभिकरणों में समस्त कार्य स्वयंसेवी कार्यकर्त्ताओं द्वारा सम्पन्न किया जाता था। सामाजिक विज्ञानों के विकास और नई आवश्यकताओं तथा समस्याओं के जन्म लेने से वेतनभोगी कर्मचारियों की आवश्यकता हुई। कुछ अभिकरणों में मुख्य कार्यपालिका एक निर्वाचित व्यक्ति होने की अपेक्षा वरिष्ठ वेतनभोगी व्यक्ति होता है।

स्वैच्छिक संगठनों के उद्देश्य तथा लक्ष्यों के आधार पर ही विभागों का निर्माण तथा कार्यकर्त्ताओं की भर्ती की जाती है। नये संगठन प्राय: कार्यकर्त्ताओं को स्थायी नियुक्ति नहीं देते हैं लेकिन लम्ब अवधि तक स्थापित हो चुके स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्त्ता प्राय: सरकारी संगठनों की तरह ही स्थायी होते हैं।

छोटे संगठनों में अनेक विभाग तथा ***क्षेत्रीयशाखायें*** नहीं होती हैं। किन्तु बड़े संगठनों में अनेक क्षेत्रीय शाखायें तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता भी अधिक होते हैं। अधिकांश स्वैच्छिक संस्थाओं के पास वित्तीय समस्यायें बनी रहती हैं। अत: उनके पास उच्च शिक्षा प्राप्त या विशिष्ट कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी नहीं मिलते हैं। स्वैच्छिक संगठनों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतनमान तथा पदोन्नति देय नहीं होती। कर्मचारी एक बंधी हुई राशि वेतन के रूप में अध्यक्ष या सचिव द्वारा, नियुक्ति के बाद, प्राप्त करते हैं।

सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली इन संस्थाओं को सरकारी नियमों के तहत लेखा एवं हिसाब-किताब रखना पड़ता है तथा सरकारी दिशा निर्देश भी मानना पड़ता है।

इन संगठनों का नामकरण स्थानीय भाषा, संस्कृति, संगठन के उद्देश्यों पर तथा निर्माण करने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन अपना लेखा-जोखा परीक्षण करवाता है तथा अपने कार्यों का प्रचार के लिये वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है।

9.5 *स्वैच्छिकसंस्थाओंकीकार्यप्रणाली*(Working or Functions of Voluntary Agencies)

ऐच्छिक संगठन आवश्यकतामन्द, निराश्रित, अजाहिज, वृ□ तथा कमजोर लोगों के लिये सामाजिक सेवायें प्रदान करते हैं। ये सेवायें व्यक्तियों, या कल्याणकारी अभिकरणों द्वारा प्रदान की जाती हैं। परन्तु इनकी सेवायें और प्रकृति समय-समय पर बदलती रहती है। देश की राजनीतिक स्थिति, संस्था के वित्तीय साधन और लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। संकट के समय राहत कार्य भी सामाजिक सेवा माने जाते हैं।

भारत में ऐच्छिक अभिकरण केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली का वर्णन यहाँ किया जा रहा है—

(1) *शिशुकल्याणसेवायें*(Child Welfare Service) :-

व्यापक अर्थ में शिशु कल्याण के अंतर्गत बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण आते हैं। परम्परागत रुप से शिशु कल्याण की दृष्टि से ऐच्छिक अभिकरण अनेक सेवायें प्रस्तुत करता है। ये सेवायें बच्चों की प्रकृति और विकास के लिये आवश्यक होती हैं। बच्चों के पुनर्वास की दृष्टि से ऐच्छिक अभिकरणों द्वारा ये प्रयास अथवा कार्य किये जाते हैं—गोद लेना, बच्चे को न्यूनतम शिक्षा देना, बच्चों के लिये मनोरंजन की सुविधायें उपलब्ध कराना। बहुत सारी ऐच्छिक संगठन बच्चों के लिए बाल भवन, बाल पुस्तकालय सांस्कृतिक केंद्र इत्यादि की भी व्यवस्था करती है। यह सच है कि बालकों के लिये ऐच्छिक संगठनों के द्वारा अनेक सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है। परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।

(2)महिलाओंकेलिएकल्याणकारीसेवायें(Welfare Services for Women) :-

भारत की लगभग 50% जनसंख्या महिला वर्ग है। अतीत काल में महिलाओं के प्रति सामाजिक अन्याय और अमानवीय व्यवहार रहा है। समाज में महिलाओं की गिनती दलित वर्ग में की गई। प्रारंभिक समाज सुधारक राजा रामोहन राय, केशव चन्द्र सेन, पं० रामा बाई, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि सभी महिलाओं के सामाजिक स्तर और शिक्षा सुविधाओं के लिये लड़े। इन सुधारकों के परिणामस्वरूप 19वीं शताबदी में अनेक ऐच्छिक संगठनों ने महिला कल्याण का काम हाथम ें लिया। स्वतंत्रता के बाद राज्य ने भी कानून बनाकर और विभिन्न संस्थायें स्थापित करके महिला कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। काम करने वाली महिलाओं के लिये होस्टल बनाये गये, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक केंद्र खोले गये, परिवार कल्याण केंद्र स्थापित किये गये। महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिये प्रयास किये गये। महिलाओं के लिये संक्षिप्त पाठ्यक्रम निर्धारित किये गये। इस प्रकार परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार महिला कल्याण के कार्यक्रम बनाये गये।

(3)युवाकल्याण(Youth Welfare) :-

युवा वर्ग की शक्ति और उत्साह को रचनात्मक कार्य में लगाने के प्रयास भी ऐच्छिक संस्थायें करती रही हैं। अनेक अखिल भारतीय और स्थानीय एच्छिक संगठन इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड इन संगठनों को पर्याप्त सहायता देता है।

(4) वृ□ोंएवंदुर्बलोंकीसेवा(Services for the Aged and weak People) :-

भारत में अभी भी संयुक्त परिवार होने के कारण अभी ये परम्परायें हैं कि वृ□ों एवं दुर्बल व्यक्तियों की देखभाल परिवार द्वारा की जाती है। परन्तु फिर भी बहुत सारे वृ□ और दुर्बल लोग निर्धारित रह जाते हैं। इनकी सेवा करने के लिये समाज कल्याण सेवायें आयोजित करना राज्य और समाज का दायित्व है। स्वतंत्रता के पहले से ही समाज कल्याण सेवाओं के लिये अनेक स्वैच्छिक संगठन इस कार्य में लगे हुए थे। मुख्य रूप से इसाई मिशनरियों द्वारा इन कार्यों का संचालन किया जा रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने इनके लिये अनेक योजनायें बनाई, किन्तु अनेक कारणों से ये सफल नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में ऐच्छिक संस्थायें आगे आई और उन्होंने वृ□ एवं दुर्बलों की सेवा करने के कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई।

(5) विकालांगोंकेलियेकल्याणसेवायें(Welfare Services for the Handicapped) :-

विकलांग या अपंग या अपाहिज लोग वे कहे जाते हैं जो अपने शरीर के किसी अंग का पूरी तरह अथवा अंशत: प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी-कभी मानसिक रूप से भी क्षमताहीन होते हैं। इनमें अन्धे, बहरे, गूंगे, लंगड़े तथा पागल व्यक्ति सम्मिलित हैं। पुराने समय में तो धार्मिक ख्याल के कारण इनलोगों की सेवा की जाती थी। इसे मोक्ष का साधन माना जाता था। इस दिशा में किये गये कार्य मुख्य रूप से ऐच्छिक संगठनों को ही जाता है। विकलांग लोगों के लिये जनता में सहानुभूति तथा दयाभाव होने पर भी उनके कल्याण के लिये अधिक काम नहीं किया जा सका है।

विकलांग लोगों के कल्याण के लिये ऐच्छिक संगठनों द्वारा ही कार्य किये जा रहे हैं। सरकार इस क्षेत्र में बहुत बाद में आई है। उसका कार्य ऐच्छिक अभिकरणों के कार्य को विकसित करने और सुधारने के लिये उनकी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता तक सीमित है। महाराष्ट्र में इस प्रकार के ऐच्छिक संस्थाओं की संख्या सबसे अधिक है उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और कुछ राज्यों में तो इसका अभाव है।

(6) सामाजिकसुरक्षा(Social Devence) :-

सामाजिक सुरक्षा के प्रयास कानून-विरोधी व्यक्तियों की गतिविधियों से उत्पन्न सामाजिक बुराइयों से समाज की रक्षा करना है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत मुख्य रूप से सेवायें प्रदान की जाती हैं—

(i) बाल अपराधों की रोकथाम एवं उपचार,

(ii) वयस्क अपराधियों के लिये कल्याण्कारी सेवायें,

(iii) महिलाओं तथा अविवाहित माताओं के अनैतिक व्यापार का दमन,

(iv) भिक्षावृत्ति का निवारण,

(v) उक्त सभी श्रेणियों के लिये उत्तर-रक्षा सेवाएँ आयोजित करना।

सामाजिक सुरक्षा के प्राय: इन सभी क्षेत्रों में मुख्य कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। परन्तु ऐच्छिक संगठन इस क्षेत्र में ज्यादा अच्छी तरह कार्यों का सम्पादन करते हैं। सरकार बहुत से स्थानों पर नहीं पहुँच पाती, अत: ऐच्छिक संस्थायें इन कठिन क्षेत्रों में सरकार की सहायता करने का कार्य करती हैं। ये बात अपराध निवारण के लिये तथा उत्तर-रक्षा सेवाओं के लिये विभिन्न संस्थाओं को स्थापित करता है। ये कानून को कार्यान्वित करने तथा जनता को शिक्षा देने में प्रशासन की सहायता करने का कार्य भी करते हैं। और अन्त में वे सेवायें संपन्न करते हैं जो अभी तक कानून के क्षेत्र से बाहर हैं तथा सरकार ने अभी जिनका दायित्व नहीं सम्भाला है। अत: सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्हें एच्छिक संस्थायें ही सही तरीके से कर सकती हैं, क्योंकि इन्हें सरकार की तरह बन्धनों में नहीं रहना पड़ता है।

(7) सकलसमाजकेलियेकल्याणकारीसेवायें(General Community Welfare Services) :-

विशेष समूह के लिये अथवा विशेष समस्याओं के समाधान के लिये प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अतिरिक्त ऐच्छिक संगठन सकल समाज के कल्याण के लिये भी कुछ कार्य संपन्न करते हैं। जैसे—मेडिकल सहायता, प्रसूति सेवायें, बच्चों, वृ□ों विकलांगों के कल्याण के लिये प्रदान की जाने वाली सेवायें आदि। इस प्रकार सेवित समाजों में गन्दी बस्तियाँ, कम आय वाली बस्तियाँ, जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जातियाँ एवं देहाती समुदाय उल्लेखनीय हैं। इस क्षेत्र में ऐच्छिक संस्थायें काफी महत्वपूर्ण भूमिका और कार्य निर्वाह रही हैं। भारत सेवक समाज, YMCA (यंग मैन क्रिश्चियन असोशियेशन), YWCA (यंग वोमेन क्रिश्चियन असोशियेशन), रामकृष्ण मिशन, AIWC (आल इंडिया विमेन्स कानफरेन्स) इत्यादि संस्थायें समाज के सामान्य कल्याण की दृष्टि से कार्य करती हैं।

अत: एच्छिक संस्थाओं के कार्य को यदि देखा जाये, जिनकी चर्चा उपर की जा चुकी है, तो हम पायेंगे कि एच्छिक संस्थायें सभी लोगों के ज्यादा निकट होने के कारण, उन्हें अपने कार्यक्रमों को उनतक पहुँचाने में आसानी होती है। क्योंकि सरकारी अभिकरण उनके इतना निकट नहीं पहुँच पाते। अत: कल्याण के कार्य को जनता के बीच पहुँचाने में एच्छिक संस्थायें महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।

समाज कल्याण के कार्य को जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। अत: समाजसेवी संगठन अथवा ऐच्छिक संस्थायें ही ये सब कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में धर्मवीर द्वारा कहे गये शब्द महत्वपूर्ण हैं—

"Work of Volutary organisations and citizen participation are towo sides of teh same coin. Citizen work in organisations but on their work depends the quality of the service the organisation

render. Voluntary organisation provide a frame for citizen participation. without effective participation, the ogranisation would only be empty forms."

सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वैच्छिक संगठनों की होती है लोगों को समाज कल्याण के क्षेत्र की ओर आकर्षित करना। लोगों में समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जगाना। लोगों को यह बताना की समाज कल्याण के कार्य उनकी अपने फायदे के लिये हैं, और इससे समाज का भला होगा।

स्वयंसेवी संगठन ही लोगों के बीच जागृति फैलाने का कार्य कर सकती हैं। ये संगठन ही लोगों को बताने का कार्य कर सकती है कि जब तक लोक सामाजिक कल्याण के कार्य में अधिक से अधिक अपना योगदान करेंगी तबतक लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि स्वैच्छिक संस्थायें अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र होती है। वे किसी कानून से बंधी हुई नहीं होती हैं जिससे स्वैच्छिक संस्थाओं को एक मौका मिलता है कि वे अपने कार्यक्रमों का सही तरह से लोगों के बीच समझायें और अपने को उनकी परिस्थितियों के अनुसार ढाले। ऐच्छिक संगठन एक स्वतंत्र निकाय होने की वजह से उन्हें अपने कार्यक्रमों को आसानी के साथ बदलने का मौका मिल जाता है। जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें अलग-अलग स्थानों की अलग तरह की होती हैं। अत: यहाँ भी स्वच्छिक संस्थायें ही स्थान और समय देखकर अपने कार्यक्रमों चला सकती हैं। वे ही समझ सकती हैं किस स्थान के लिये क्या आवश्यक है।

और अंत में स्वैच्छिक संगठन अनेक प्रकार से अपने कार्यों द्वारा किसी भी प्रोग्राम को लागू करने में अथवा उसे आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। सामाजिक न्याय का कार्य स्वैच्छिक संस्थायें जितनी अच्छी तरह करती हैं, कोई दूसरा अभिकरण नहीं कर सकता।

9.6 *स्वैच्छिकसंगठनोंकीसमस्यायेंयाकमियाँ*(Problems and Drawbacks of Voluntary Organisations)

स्वतंत्रता के बाद भारत में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में बहुत अधिक वृगि हुई। सामाजिक कल्याण से संबंधित अधिकतर कार्य उन्हीं संगठनों द्वारा किये जा रहे हैं। गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, नशापान, बालश्रम, आतंकवाद, नि:शक्तता, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों जैसी अनेक सामाजिक समस्यायें हैं। इन समस्याओं से निबटने के लिये राज्य तथा स्वैच्छिक संगठन दोनों ही अपने को असमर्थ पा रहे हैं। स्वैच्छिक संगठनों की मुख्य समस्या यह है कि ये स्वयं ही अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। ये समस्यायों निम्नलिखित हैं –

(1) स्वैच्छिक संगठनों की ***कमजोरवित्त*** स्थिति इसकी सबसे बड़ी समस्या है। सजाज के जीवन में आज धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण ऐच्छिक अभिकरण के परम्परागत साधन स्त्रोत निरंतर सूखते जा रहे हैं। अत: ये अभिकरण सरकारी अनुदान की ओर ध्यान लगाये रहते हैं। इन संगठनों को पर्याप्त वित्तीय सहायता निजी एवं सरकारी स्त्रोतों से नहीं मिल पाते हैं और यदि धन की व्यवस्था हो भी जाती है तो यह पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे में वित्तीय ढाँचा जाने के कारण कुछ संगठने मृतप्राय सी हो जाती है।

(2) स्वैच्छिक संगठनों के पास ***योग्यतथाप्रशिक्षितकार्मिकोकाअभाव*** बना रहता है। उन संगठनों का कार्य मुख्यत: समाज सेवा होता है, जिसे आज के युग में अपना कैरियर बनाने की दृष्टि से, कोई इन संगठनों में आना स्वीकार नहीं करना चाहेगा। कोई शिक्षित और मेघावी व्यक्ति तो बिल्कुल ही नहीं। और यदि कोई देना भी चाहे तो यहाँ की सेवा शर्तें बहुत ही दयनीय होती हैं जैसे नौकरी की असुरक्षा, अल्प वेतन, पदोन्नति तथा अन्य लाभों के अभाव में कुशल कार्मिक यहाँ बना रहना नहीं चाहेगा।

(3) परिवर्तित होते सामाजिक-आर्थिक परिवेश में ***जनसहयोगमेंकमी*** आ रही है। पहले लोग समाज सेवी संस्थाओं को तन, मन तथा धन से सहायता देना पुण्य का कार्य समझते थे। परन्तु अब ऐसा नहीं है। लोग अधिकतर ऐच्छिक संस्थाओं को सही नजर से नहीं देखते हैं जसके कारण कुछ व्यक्ति चाहकर भी उनकी मदद नहीं करते हैं।

(4) कुछ समाज कल्याण के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ स्वैच्छिक, संस्थाओं को '***समाजकोटकोंकाशिकार***' भी होना पड़ता है। जैसे बाल श्रम, महिला अत्याचार, बाल-विवाह, वैश्यावृत्ति तथा पिछड़े वर्गों के शोषण के विरू□ कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को प्राय: रूढ़िवादी समाज की मानिसिकता का सामना करना पड़ता है।

(5) बहुत से स्वैच्छिक संगठनों में ***दिखावा-संस्कृति*** का प्रादुर्भाव हो चुका है। ये संगठन वास्तविक कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्य की ओर ध्यान देने के बजाय समारोहों के माध्यम से तड़क-भड़क का प्रदर्शन करते है। कुछ असामजिक तत्वों ने तो इन्हें व्यावसायिक संगठन का रूप दिया है। इससे जो अच्छी संस्थायें है, उन्हें हानि उठानी पड़ती है।

(6) स्वैच्छिक संगठनों के आड़ में कई बार '***स्वार्थपूर्ति***' भी की जाती है। धर्म, सम्प्रदाय, जाति या राजनीतिक मान्यताओं का प्रचार भी इन संगठनों के माध्यम से किया जाता है। दूसरी तरफ भारी गरीबी, निरक्षरता तथा रूढ़िवादिता को मद्देनजर रखते हुए बहुत सी विदेशी शक्तियाँ इन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से देश में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसी स्वैच्छिक संगठन, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं।

(7) इन संगठनों से जुड़ी एक अन्य प्रमुख समस्या ***पारदर्शिताकीकमीतथाजवाबदेयताकाअभाव*** है। अर्थात् व्यवहार में ये संगठन नितांत अनुत्तरदायी तथा दुरुपयोग से ग्रस्त है। इनमें से अधिकतर संगठनों में न तो प्रभावी एवं सशक्त नेतृत्व होता है। अधिकतर संगठन ना तो आम सभा बुलाते हैं ना ही लेखा परीक्षा करवाते हैं। बहुत से व्यक्तियों के लिये तो ये लाभ कमाने का एक जरिया बन गये हैं। इस कारण बहुत सारी संस्थायें काली सूची (Black Listed) में डाली हुई हैं।

वैसे तो स्वैच्छिक संगठनों की जनकल्याण तथा विकास में भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत में फर्जी संगठनों तथा स्वार्थी तत्वों ने स्वैच्छिक संगठन शब्द का माने ही बदल डाला है। आज समाज सेवी संगठन 'स्वयं की सेवा' के पर्याय हो गये हैं। बिहार में 17,000 से भी अधिक स्वैच्छिक संगठन पंजीकृत है, लेकिन वास्तविक अस्तित्व 500 का भी नहीं है। लोगों ने इसे व्यापार बना दिया है। परन्तु स्वैच्छिक संगठनों की जो भी समस्यायें या कमियाँ हैं उनका समाधान किया जा सकता है।

***समाधान*(Solutions) :-** सामाजिक कल्याण तथा विकास के नाम पर जिनकी भी स्वैच्छिक संस्थायें कार्य कर रही है को दो प्रकार की होती हैं– वे संगठन जो कम संसाधनों तथा प्रतिब□ भावना कार्य सम्पादित करने में प्रभावी नहीं बन पाता।

दूसरा वैसे संगठन जो एक शक्तिशाली संस्था के रूप में सामने आ चुकी है, परन्तु उनकी आड़ में गतल कार्य किये जाते हैं जैसे राष्ट्र विरोधी कार्य इत्यादि। परन्तु इन दोनों का समाधान राज्य के द्वारा दी संभव है। समाज कल्याण का अधिकांश कार्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ही होता आया है। आज सामाजिक समस्याओं का दायरा भी बढ़ गया है। इसके लिये एक अच्छी 'नीति' का निर्माण किया जाना चाहिये।

भारत में स्वैच्छिक संगठनों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना एग आवश्यकता है। आज इन ऐच्छिक संगठनों द्वारा संपन्न कार्यों को अभी तक किसी ने नहीं संभाला है। इन संगठनों की ओर आने वाले स्वयंसेवियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। अत: इनके कार्यों की शर्ते सुधारी जानी चाहिये। स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकरण में सुधार

के लिये कुछ सुझाव दिये गये हैं–

(1) स्वैच्छिक संगठनों में एक राष्ट्रीय नीति एवं स्पष्ट दिशा निर्देश या नियामावली केंद्र सरकार द्वारा बनानी चाहिये।

(2) आज निजी प्रशासन और लोक प्रशासन का अंतर कम हो रहा है। अत: राज्य ऐच्छिक क्षेत्र में समाज कल्याण कार्यक्रमों के विकास के लिये इन संगठनों को विभिन्न प्रकार का सहयोग प्रदान कर सकता है।

(3) राज्य द्वारा ऐच्छिक संगठनों को तकनीकी क्षेत्र में सहायता दी जा सकती है। तकनीकी सहयोग तथा वित्तीय सहयोग दोनों साथ-साथ चलने चाहिये। यदि अनुदान प्राप्त करने वाला अभिकरण समाज कल्याण की आवश्यकताओं और सेवा प्रदान करने की तकनीकों से परिचित नहीं है तो सारी वित्तीय सहायता यूं ही बर्वाद हो जायेगी।

(4) सामाजिक समस्याओं तथा समाजिक कार्यक्रमों में शोध की व्यवस्था करना काफी महंगा है, पर आवश्यक या अनिवार्य भी है। क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्त्ताओं को जैसे ग्राम सेविका, बाल सेविका तथा मनोरंजन कार्यकर्त्ता आदि की प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम ऐच्छिक संस्थायें कर सकती हैं, किन्तु इस कार्य के लिये राज्य द्वारा वित्तीय सहयोग दिया जाना चाहिये।

(5) ऐच्छिक संगठनों की सहायता करने का एक अन्य तरीका यह है कि राज्य द्वारा कुछ समय के लिये प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारी इन संगठनों को भेजी जाँचे (On deputation)। अपने विशेष ज्ञान से ये ऐच्छिक संगठनों को लाभान्वित कर सकते हैं।

(6) ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। यदि ऐच्छिक संगठन ना हो तो सारा भार राज्य पर ही पड़ेगा। अत: यह उचित है कि वित्तीय सहायता देकर इन अभिकरणों को सार्थक और प्रभावशाली बनाया जाये। साथ ही राज्य ऐच्छिक संगठनों के स्वतंत्र कार्य संचालन में आवश्यक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

परन्तु पारदर्शिता एवं जवाबदेयता के अभाव से ग्रस्त इन संगठनों पर लगाम कसना आवश्यक है। जवाबदेयता की एक ऐसी सार्थक प्रणाली विकसित की जाये जिनमें पारदर्शिता तथा नैतिकता का समावेश हो। सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की ठोस प्रणाली एक प्रभावी कदम हो सकता है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि इन संगठनों द्वारा जनता का विश्वास अर्जित किया जाये क्योंकि बिना विश्वसनीय सामाजिक छवि के उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिये सामाजिक कार्य, या सामाजिक प्रशासन से संबंधित संवर्ग (cadre) तैयार किया जाये। यद्यपि ऐच्छिक संगठन स्वयं की इच्छा से बनाये जाते हैं, तथा समाज के दबे कुचले व्यक्तियों की सेवा करते हैं फिर भी इन पर राज्य का नियंत्रण और पर्यवेक्षण कुछ सीमा तक आवश्यक है। क्योंकि राज्य का समुचित नियंत्रण ऐच्छिक अभिकरणों को उनके लक्ष्यों की ओर प्रेरित रख सकेगा। नियंत्रण की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिये जो जनता को अच्छे कार्यों के लिये अधिक धन देने को प्रोत्साहित कर सके।

9.7 समाजकल्याणमेंस्वैच्छिकसंगठनकीभूमिका(Role of Voluntary Organisation in Social Welfare & Development)

गैर सरकारी संगठनों के अर्थ तथा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करने के बाद, हम जनभागीदारी के अर्थ में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की जायें।

समाज सेवा का कार्य धैर्य, त्याग तथा प्रतिब□ता की भावना से ही संभव है। स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ही बच्चों, महिलाओं तथा अन्य जरूरतमन्द व्यक्तियों का कल्याण हो सकता है। गैर-सरकारी संगठनों का यह भी महत्वपूर्ण कार्य है, जनता को विकासात्मक कार्यों में पूर्ण भागीदारी के लिये प्रेरित करना तथा उनके लिये सही प्लेटफार्म व अवसर को सुनिश्चित करना। अत: सामाजिक विकास और कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को निम्नलिखित विन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है—

(1) जन कल्याण में अगुवा :-

स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण उन व्यक्तियों के स्वेच्छा से होता है जो समाज की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। हमारी परम्परागत सामाजिक मान्यताओं के पतन के कारण मानव सेवा का कार्य सरकारी जिम्मेदारी मान लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में जनकल्याण के कार्य स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ही संभव है। जैसे अनाथ बालकों, विधवा महिलाओं, भिखारियों, श्रमिकों तथा नि:शक्तजनों की सेवा इत्यादि। ये संगठन इन जनसाधारण की मानसिकता को अच्छी तरह समझते हैं, अत: उनकी भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण होती है।

(2) स्थानीय प्रशासन में साकारात्मक हस्तक्षेप :-

अधिकतर देशों में लालफीताशाही तथा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सरकारी कार्यक्रमों का लाभ वंचित तबकों तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पर गै-सरकारी संगठनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यह स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह और जिम्मेदार बनने के लिये बाध्य करते हैं।

गैर सरकारी संगठन जन जागरूकता फैलाते हैं, लोगों के लिये जीविकोपार्जन का साधन तथा अवसर प्रदान करते हैं, तथा उनकी सहायता से उनके हितैषी वातावरण तथा उपयोगी टेक्नोलॉजी का विकास व संरक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक बुराइयों के खात्में के लिये जरूरी माहौल तैयार करते हैं। इस प्रकार गैर सरकारी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माता संरक्षक तथा विनाशक की बहुमुखी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार गैर-सरकारी संगठनों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनता में स्थानीय स्तर पर राजनैतिक जागरूकता को उत्पन्न करने की होती है।

(3) सामाजिक परिवर्तन में सहायक :-

सामाजि संरचना में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इस सामाजिक परिवर्तन को एक सुनिश्चित गति तथ साकारात्मक दिशा देने में स्वैच्छिक संस्थायें निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया के शुरू करने में भी ये संगठन प्रभावी कार्य करते हैं। जब इन संगठनों के सामाजिक कार्यकर्त्ता स्वयं दीन-हीन की सेवा तथा रोगी की देखमात्र करते है तो अन्य व्यक्तियों को भी प्रेरणा मिलती है।

(4) उत्तरदायित्व भावना का विकास :-

समाज में हमें प्रेम, सहयोग तथा सुरक्षा मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति के समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, जिनका पालन करना सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने में सहायक होता है। परन्तु आज के जटिल सामाजिक संरचना में व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों को भूलता जा रहा है और यही पर स्वैच्छिक संगठन करने वाले अधिकतर कार्यकर्ता संयमशील होते हैं। अत: यहाँ इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अधिकतर स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्त्ता बिना किसी स्वार्थ के केवल समाज सेवा और समर्पित भाव से कार्य करते हैं। इसे देखकर अन्य लोग भी अपने उत्तरदायित्व को समझने लगते हैं।

(5) सरकारी नितियों एवं कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन :-

लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार राष्ट्र के पूर्ण विकास के लिये अनेक योजनायें तथा कार्यक्रम निर्धारित करती हैं। सरकार की इन नीतियों तथा कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्तमान योजना तक सरकारी कार्यक्रमों में जनसहभागिता बढ़ाने तथा इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति सफलतापूर्वक कराने में स्वैच्छिक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका एवं माध्यम सि□ होते हैं। अनुसूचित जाति तथ जनजाति विकास, नि:शक्तजनों कल्याण, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, अपराधी परिवीक्षा तथा सुधार, बाल श्रमिक उ□ार, अस्पृश्यता निवारण, निराश्रितों को सहारा तथा भिक्षावृत्ति उन्मूलन में अनेक राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्वैच्छिक संगठन प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

(6) सामाजिक कानूनों के क्रियान्वयन में सहायक :-

राज्य द्वारा अनेक प्रकार के विधान बनाये जाते हैं जिससे सामाजिक कुरतियों को समाप्त किया जा सके। परन्तु इन विधानों या कानूनों की सफलता के लिये जनजागृति तथा जनसहयोग आवश्यक है। स्वैच्छिक संगठन ही इस कार्य को सम्पादित करते हैं। यहाँ इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भारत में सूचना का अधिकार इसका प्रमाण है। परिवर्तित कानूनों में संशोधन तथा उन्हें व्यवहारिक बनाने के सुझाव देने में भी स्वैच्छिक संगठनों की अहम भूमिका रहती है।

(7) सामाजिक नियोजन तथा नीति निर्माण में सहायक :-

सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण को समझने के लिये तथा सामाजिक आवश्यकताओं का पता लगाने के में सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का सहारा लिया जाता है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की वास्तविकता तथा उनकी कमियों की जानकारी भी क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को ही होती है। और इन्हीं स्वैच्छिक संगठनों से सरकार की सारी जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पर संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगवाने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है।

(8) सामुदायिक सहभागिता में वृ□ :-

भारत जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकास कार्यक्रमों के निर्माण तथा उनके क्रियान्वयन में जनसहभागिता का एक खास योगदान रहता है। परन्तु स्वतंत्रता के बाद अधिकतर योजनाओं में जनसहभागिता की भूमिका निराशजनक रही है। अधिकतर सामाजिक बुराइयों में जैसे-बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं बढ़ती जनसंख्या जैसी समस्याओं का निवारण जनसहभागिता के बिना असंभव है। स्वैच्छिक संगठन इन सबों में महत्वूपर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहीं कारण है कि सामाजिक कल्याण के अधिकतर कार्य स्वैच्छिक संगठनों को करने के लिये दिये जाते हैं।

(9) जनजागृति तथा जनमत निर्माण :-

किसी समस्या विशेष पर जनता में जागृति फैलाना तथा उसके पक्ष और विपक्ष में जनमत का निर्माण करने में स्वैच्छिक संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा महिला अत्याचारों को रोकने के क्रम में इन संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। सामाजिक न्याय के प्रसार की ये उपलब्धियाँ स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से ही संभव हो पाता है।

स्वैच्छिक संगठन विविध ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सब्सीडी के संबंध में सही व उपयोगी सूचना मुहैया करते हैं। ये ऋण के समुचित सदुपयोग तथा ऋण की समय पर वापसी के लिये जन जागरूकता अभियान भी चलाते हैं।

इसी तरह गैर-सरकारी संगठनों की एक और महत्वपूर्ण भूमिका होती है—उनकी लोकपाल की भूमिका। इस परिस्थिति में गैर-सरकारी संगठन लोकपाल के रूप में उचित स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक तथा वैधानिक गोलबन्दी के द्वारा इन बुराइयों से प्रभावी रूप से लड़ने में सार्थक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

गैर सरकारी संगठन पंचायती राज संस्थानों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इस बात पर व्यापक सहमति है कि पंचायती राज्य संस्थानों की सफलता गैर-सरकारी संगठनों की व्यापक भागीदारी पर निर्भर हैं। ये संगठन पंचायत स्तर पर एक शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रसारक तथा सुविधावाहक की महत्वपूर्ण भूमिका प्रभावी तरीके से निर्वाह कर सकते हैं।

गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भी होती है। इस भूमिका को सातवीं योजना में रेखांकित किया गया। ये ग्रामीण जरूरतों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। वे ग्रामीणों को रचनात्मक कार्य के लिये गोलबन्द करते हैं। गैर सरकारी संगठन विभिन्न स्त्रोतों व माध्यमों के द्वारा लोगों तक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि लोगों को उपयोगी सूचनाओं का पाने के अधिक अवसर तथा विकल्प उपलब्ध हो सके।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ऐच्छिक संस्थायें ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हे। यदि पर्याप्त धन और मार्ग निर्देशन कराया जाये तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अत्यंत सार्थक एवं उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं।

9.8 *सारांश*(Conclusion)

भारत में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका एतिहासिक पृष्ठभूमि से ही प्रारंभ किया है। भारत में स्वैच्छिक समाज सेवा कार्यों की एक समृ□ परम्परा रही है। हमारी सभ्यता और संस्कृति मूलत: आध्यात्मवाद तथा मानव कल्याण को संवर्ि□त करने वाले प्रयासों को पोषित करती थी। आधुनिक स्वैच्छिक समाजसेवी संगठनों का जन्म ब्रिटिश शासन के दौरान शुरु हुआ। इससे पहले स्वैच्छिक संगठनों का स्वरूप बिखरा हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार तथा सामाजिक विधानों के निर्माण से सामाजिक चेतना भी बढ़ने लगी।

सन् 1928 में राजाराम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, सन् 1875 में आर्य समाज, सन् 1882 में थियोसोफिकल सोसायटी तथा सन् 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना ने स्वैच्छिक संगठनों की सामाजिक कल्याण के महत्व को व्यापक स्तर पर सि□ कर दिया। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा समाज सुधार आंदोलनों के मुख्य प्रणेता महात्मा गाँधी थे। गाँधी युग में अनेक स्वैच्छिक संगठनों ने नशाबन्दी, विधवा विवाह तथा हरिजन कल्याण के लिये अनेक प्रयास किये।

राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान (निपसिड), नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1979-80 में स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में एक राष्ट्रीय अध्ययन किया गया था, जिसके अनुसार 1953 में भारत में 1,739 स्वैच्छिक संगठन कार्यरत थे जो 1980 में पाँच गुणा बढ़कर 8,052 हो गई। अर्थात् स्वैच्छिक संख्याओं का विकास तेजी से हुआ। परन्तु बिहार और पंजाब में स्वैच्छिक संगठन बहुत नहीं बढ़े। 1983-84 में भारत में समाज

कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की संख्या 10,000 थी जो 1999-2000 में 22,000 तक पहुँच गई। सन् 2006 में यह संख्या 17 लाख आंकी गई। इसमें सभी प्रकार की संख्यायें सम्मिलित मानी गई हैं। केवल समाज कल्याण क्षेत्र की संस्थाओं की संख्या 3-4 लाख बतायी जाती है। परन्तु वास्तविक क्रियाशील संगठन 20-50 हजार ही हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात् देश में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या कई गुणा बढ़ चुकी है।

आज समाज कल्याण तथा विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। परन्तु इनकी भूमिका के साथ-साथ इनकी समस्यायें भी अनेक है। स्वैच्छिक संगठनों के पास वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों का अभाव बना रहता है। अनुदान की मात्रा इतनी कम होती है कि उसमें वे सिर्फ अपना प्रशासनिक रख रखाव ही कर सकता हैं। इस कारण बहुत से बेरोजगार युवक केवल अनुदान प्राप्त करने के लिये किसी संगठन का निर्माण कर लेते हैं। 1996-97 में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की अध्यक्षता श्रीमती विधवेन शाह ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्वैच्छिक संगठन फर्जी थे। कुछ स्वैच्छिक संगठन समाज सेवा के नाम पर निर्मित अवश्य हुये हैं किन्तु उनके माध्यम से अन्य धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियाँ भी संचालित होती रहती है जो एक चिन्ता का विषय है।

उपरोक्त चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के प्रभावी निर्वहन के लिये अधिकतर गैर सरकारी संगठनों के खुद के यथोचित प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास की आवश्यकता है। इसके अलावा स्वैच्छिक संस्थाओं में आपसी सामंजस्य, तालमेल तथा सहयोग को भी विकसित करने की जरूरत है। साथ ही सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच भी तालमेल विकसित होना चाहिये।

गैर सरकारी संगठन क्षेत्रों के राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित कर उन्हें विकास का बराबर का साझेदार बना सकते हैं।

9.9 *अभ्यासकेप्रश्न*(Questions for Exercise)

1. ***स्वैच्छिक संगठन के अर्थ एवं उद्देश्य का वर्णन करें।***
   Write the meaning and objective of voluntary organisations.
2. ***स्वैच्छिक संगठनों की विशेषताओं का वर्णन करें।***
   Explain the Characteristics of Voluntary Organisations.
3. ***सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका का वर्णन करें।***
   What are the role of Voluntary Organisation in the field of Social Welfare.
4. ***स्वैच्छिक संगठनों की समस्यायें क्या है ?***
   What are the Problems of Voluntary Organisations ?

9.10 *प्रस्तावितपाठ*(Suggeted Readings)

1. *प्रशासन एवं लोकनीति – मनोज सिन्हा ओरियन्ट ब्लैकस्वान, हैदराबाद।*

2. *सामाजिक प्रशासन (कल्याण प्रशासन) – डा० सुरेन्द्र कटारिया, आर० बी० एस० ए० पब्लिशर्स, जयपुर।*

3. **Social Welfare – S. L. Goel.**
Administrative – R.K. Jain
Volume – 2
Organisation & Working Deep & Deep Publications New Delhi

4. *भारतीय शासन एवं राजनीति – डा० सुरेन्द्र चन्द्र सिंहल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।*

●